

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार स पकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 1137

नड दिल्लो, बधवार, मड 11, 2016/वशाख 21, 1938

No. 1137]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2016/VAISAKHA 21, 1938

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2016

का.आ. 1706(अ).— भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के दिनांक 12 नवम्बर, 1998 के का.आ. 973 (अ), दिनांक 12 सितम्बर, 2006 के का.आ. 1779 (अ), दिनांक 22 मार्च, 2012 के का.आ. 525 (अ) और दिनांक 20 मई, 2014 के का.आ. 1325 (अ) की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए इसकी कार्यकारी समिति का पुनर्यठन निम्नानुसार किया है:

1	सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग)	अध्यक्ष (पदेन)
2	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य (पदेन)
3	संयुक्त सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
4	वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
5	कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य (पदेन)
6	निदेशक/उपसचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य सचिच (पदेन)

2. इसके अलावा, केंद्रीय सरकार कार्यकारी समिति की बैठक के लिए अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों का कोरम बनाती है।

[फा. सं. 20-10/2012-खेल-।। (एनएसडीएफ)]

ओंकारमल केडिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2016

- S.O. 1706(E).—In partial modification of Government of India, Ministry of Youth Affairs & Sports Notifications S.O.973 (E), dated 12th November, 1998; S.O.1779 (E), dated 12th September, 2006; S.O. 525 (E), dated 22nd March, 2012; and S.O.1325 (E), dated 20th May, 2014, the Central Government reconstitutes the Executive Committee of the National Sports Development Fund (NSDF) to manage day-to-day working of the Fund as follows:
 - (1) Secretary to the Government of India Ministry of Youth Affairs & Sports (Department of Sports)

- President (Ex-officio)

(2) Director General
Sports Authority of India

- Member (Ex-officio)

(3) Joint Secretary (Sports)

Ministry of Youth Affairs & Sports

- Member (Ex-officio)

(4) Financial Adviser
Ministry of Youth Affairs & Sports

- Member (Ex-officio)

(5) Executive Director (Teams)
Sports Authority of India

- Member (Ex-officio)

(6) Director /Deputy Secretary (Sports) Ministry of Youth Affairs & Sports - Member Secretary (Ex-officio)

2. Further, the Central Government makes the quorum for a meeting of the Executive Committee to three Members including the President.

[F. No. 20-10/2012-SP.II (NSDF)] ONKARMAL KEDIA, Jt. Secy.